COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES — CANCELLED

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES — CANCELLED

(168)

BEFORE THE HON'BLE MADHYA PRADESH REVENUE BOARD, GWALIOR MP

CAMP AT JABALPUR

Revision No. 606-I/12 of 2012.

श्री ... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार 2452
21 FEB 2012
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

REVISIONIST: BALRAM ALIAS BALLOO GOLI aged about 33 years
son of Late Shri Dwarika Goli
Occupation: Landless Labourer
R/o: Village Bhoma Tahsil & District: Seoni M.P.

/ V E R S U S /

RESPONDENTS: 01. Sukkoo Lal Goli aged about 48 years
Son of Late Shri Mannoo Lal Goli
R/o: Village Bhoma Tahsil & Distt: Seoni M.P.

02. Jagnoo Lal Goli S/o Late Dhannoo Lal
Now deceased hence through his L.Rs.:-

02.01. Smt. Kusum Bai Goli aged about 55 years
Widow of Late Jagnoo Lal Goli

02.02: Shanker Goli aged about 35 years
Son of Late Shri Jaganoo Lal Goli

02.03: Manker Goli aged about 32 years
Son of Late Shri Jagnoo Lal Goli
R/o: the Respondents No. 02.01 to 02.03:
Village: Bhoma Tahsil and District: Seoni M.

02.04: Smt. Mankariya Bai Goli aged 30 years
Wife of Shri Nanhe Lal Goli
D/o: Late Shri Jagnoo Lal Goli
R/o: Village: Morkha P.S. & Tahsil:
Chourai District: Chhindwara M.P.

03. Smt. Sumro Bai Goli aged about 60 years
Widow of Late Shri Mannoolal Goli
R/o: Village Bhoma Tahsil and Distt: Seoni M

(आयुक्त कार्या. जबलपुर से 29.2.12 को जबलपुर कैम्प पर प्राप्त)

29.2.12

(142)

6.3.12

XXXIX(a)BR(H)-11 -2

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

प्रकरण क्रमांक - निग0 606-एक/12 जिला - सिवनी

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 26-6-76 | प्रकरण का अवलोकन किया गया यह निगरानी अपर कलेक्टर, सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 29/अ-19/10-11 में पारित आदेश दिनांक 8-12-11 के विरूद्ध म0प्र0 वास स्थान दखलकार अधिनियम, 1980 की धारा 7 के तहत प्रस्तुत की गई है ।<br>2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रश्नाधीन भूमि स्थित ग्राम भोमा खसरा नं. 356/1 में से रकबा 600 वर्गफुट तथा 356/2 में से रकबा 600 वर्गफुट कुल रकबा 1200 वर्गफुट पर पर वास स्थान दखलकार अधिनियम के तहत व्यवस्थापन किया गया था । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि वे प्रश्नाधीन भूमि के समस्त हितबद्ध पक्षकारों नियमानुसार नोटिस जारी कर तथा उन्हें पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान करते हुए गुणदोष पर आदेश पारित करें । यह भी निर्देश दिए गए हैं कि आवेदक दिनांक 23-6-1980 या उसके पूर्व भूमिहीन था अथवा नहीं तथा व्यवस्थापन का पात्र है अथवा नहीं इसका भी विधिवत परीक्षण करते हुए नियमानुसार निराकरण करें । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।<br>3/ प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा लिखित बहस पेश की गई है ।<br>4/ उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण वास स्थान दखलकार अधिनियम के तहत भूमि के व्यवस्थापन का है । इस प्रकरण में जो भूमि है उसके भूमिस्वामी अनावेदकगण हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में अभिलेख के आधार पर यह पाया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के पक्ष में भूमि | |

प्र0 क0 निगरानी 606-एक/12 (बलराम विरूद्ध सुक्खू आदि)

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

व्यवस्थापन के आदेश के पूर्व उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई है तथा हल्का पटवारी द्वारा अथवा आवेदक द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि आवेदक उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुरूप्ज्ञ दिनांक 23-6-1980 को भूमिहीन था । उक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधि प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत मानते हुए निरस्त किया है एवं प्रकरण उन्हें आवश्यक निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण प्रकरण में हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है एवं अपर कलेक्टर द्वारा पारित आलोच्य आदेश स्थिर रखा जाता है ।

सदस्य